भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3232**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
सरकारी ई-मार्केटप्लेस

3232: श्री तेजवीर सिंह:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री मयंककुमार नायकः
डा. दिनेश शर्मा:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :
श्री दीपक प्रकाश:
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्रीमती दर्शना सिंह
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्थापना से लेकर अब तक इसके माध्यम से किए गए कुल क्रय मूल्य लेन-देन का राज्य-वार और मंत्रालय - वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में कुल सरकारी खरीद का कितना प्रतिशत जीईएम के माध्यम से संपन्न हो रहा है, और क्या पूर्ण एकीकरण के लिए कोई रोडमैप निर्धारित किया गया है;
(ग) क्या कॉशन मनी हटाए जाने से नए विक्रेताओं, विशेषकर एमएसएमई के पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और
(घ) जीईएम के माध्यम से पंचायतों और सहकारी समितियों द्वारा की गई खरीद का ब्यौरा क्या है और जमीनी स्तर पर इसके अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) कार्टेल बनाने से रोकने, बोली में हेराफेरी या कुछ विक्रेताओं के बीच अनुबंधों का संकेंद्रण रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षोपाय मौजूद हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) अपनी शुरूआत से लेकर अब तक, जीईएम की माध्यम से की गई खरीद का संचयी मूल्य 17,83,360 करोड़ रूपए है (8 मार्च 2026 तक)। जीईएम के माध्यम से की गई खरीद का मंत्रालय-वार और राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में है।

(ख) कुल सरकारी खरीद का वह प्रतिशत जो वर्तमान में जीईएम के माध्यम से किया जाता है, उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, पूर्ण एकीकरण के लिए जीईएम को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित विभिन्न पहलें हैं।

- जीईएम के अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित कई राज्यों ने जीईएम के माध्यम से खरीद के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- क्रेताओं और विक्रेताओं की क्षमता निर्माण के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, बूट कैंप और बहुभाषी ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किए हैं।
- विक्रेताओं को जोड़ने, कैटलॉग अपलोड करने और उनके सदस्यों को प्रशिक्षण देने की सुविधा के लिए प्रमुख विक्रेता संघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जीईएम पर व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए 30 जुलाई, 2025 को जीईएम से कॉशन मनी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई थी। पहले कॉशन मनी जमा करने वाले 22,600 से अधिक विक्रेताओं को यह राशि वापस कर दी गई है। इसके अलावा, 30 जुलाई, 2025 के बाद पंजीकृत 1.15 लाख पूर्ण प्रोफाइल वाले विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की कॉशन मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं थी।

(घ) पंचायतों और सहकारी समितियों द्वारा की गई राज्य-वार खरीद का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक III** और **अनुलग्नक IV** में दिया गया है। जमीनी स्तर पर जीईएम के उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नवत कदम उठाए गए हैं:

(i) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जीईएम को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के साथ एकीकृत करना।

(ii) पंचायतों सहित खरीदारों और विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, बूट कैंपों और बहुभाषी ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।

(iii) प्लेटफॉर्म पर खरीद और परिचालन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बहुभाषी हेल्प डेस्क और सहायता प्रणाली।

(iv) विक्रेता प्रणाली को मजबूत करने के लिए पहल, जिसमें लघु एवं मध्यम उद्यम, महिला नेतृत्व वाले उद्यम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी और स्वयं सहायता समूह शामिल हैं।

(v) सहकारिता मंत्रालय और एनसीयूआई के समन्वय से सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाना।

(ड.) जीईएम ने कुछ चुनिंदा विक्रेताओं के बीच अनुबंधों के केंद्रीकरण, बोली में हेरफेर या कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए निम्नवत व्यवस्थाएं मौजूद हैं:

i) जीईएम "बोली प्रस्तुति" विंडो की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें क्रेताओं को बोली खोलने से पहले संभावित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तुतियों की जांच करना और उनका उत्तर देना अनिवार्य है। जब तक इन प्रस्तुतियों का उत्तर नहीं दिया जाता, सिस्टम बोलियां खोलने की अनुमति नहीं देता है।

ii) जीईएम ने "अस्वीकृति चुनौती विंडो" की सुविधा सक्षम की है, जिसमें बोलीदाता बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किए जाने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करा सकता है, और क्रेता को वित्तीय मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ने से पहले ऐसी आपत्ति का उत्तर देना अनिवार्य है।

iii) संभावित मिलीभगत की जांच करने के लिए, खरीदार को भाग लेने वाले बोलीदाताओं के आईपी पते प्रदर्शित किए जाते हैं, और जहां आवश्यक हो, बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

iv) जीईएम ने खरीद संबंधी अनियमितताओं, जैसे कि ऑर्डर विभाजन, संदिग्ध बोली, असामान्य मूल्य निर्धारण और संभावित मिलीभगत का पता लगाने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण तैनात किए हैं, और चिह्नित मामलों को कार्रवाई के लिए प्राथमिक क्रेता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है।

v) प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार या कार्टेल गठन को जीईएम के घटना प्रबंधन ढांचे के तहत गंभीर/अत्यंत गंभीर उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और सिद्ध मामलों में 365 दिनों तक का निलंबन हो सकता है।

अनुलग्नक –I

दिनांक 20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3232 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रं.स.	मंत्रालय	ऑर्डर वैल्यू (रूपए करोड़ में)
1	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	5,623.49
2	आयुष मंत्रालय	1,104.17
3	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	10,251.84
4	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	5,826.02
5	कोयला मंत्रालय	411,963.08
6	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1,990.21
7	संचार मंत्रालय	11,719.54
8	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	13,187.76
9	सहकारिता मंत्रालय	89.97
10	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय	519.94
11	संस्कृति मंत्रालय	1,801.04
12	रक्षा मंत्रालय	257,475.32
13	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	129.17
14	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	113.17
15	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1,439.02
16	शिक्षा मंत्रालय	21,590.84
17	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	19,114.83
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	912.57
19	विदेश मंत्रालय	736.05
20	वित्त मंत्रालय	70,727.45
21	मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय	667.67
22	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	137.14
23	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	31,755.77
24	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	41,108.24
25	गृह मंत्रालय	28,722.47
26	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)	2,987.08
27	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	56.83
28	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3.62

29	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2,346.74
30	जल शक्ति मंत्रालय	393.32
31	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	6,257.83
32	विधि एवं न्याय मंत्रालय	241.18
33	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	3,037.80
34	खान मंत्रालय	23,190.82
35	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	100.92
36	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	364.25
37	पंचायती राज मंत्रालय	85.10
38	संसदीय कार्य मंत्रालय	24.41
39	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	708.00
40	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	171,467.89
41	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	12,134.22
42	विद्युत मंत्रालय	146,443.42
43	रेल मंत्रालय	45,202.01
44	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	774.55
45	ग्रामीण विकास मंत्रालय	291.24
46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5,376.14
47	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	552.17
48	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,792.58
49	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2,033.59
50	इस्पात मंत्रालय	67,030.93
51	वस्त्र मंत्रालय	976.27
52	पर्यटन मंत्रालय	446.61
53	जनजातीय कार्य मंत्रालय	367.99
54	शहरी विकास मंत्रालय	1,089.51
55	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय	1,650.46
56	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	305.25
57	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	1,285.96
	सकल योग	1,437,725.51

अनुलग्नक -II

दिनांक 20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3232 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रं.स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल ऑर्डर वैल्यू (लाख रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	134,245.87
2	आंध्र प्रदेश	288,414.74
3	अरुणाचल प्रदेश	41,158.54
4	असम	1,015,962.10
5	बिहार	1,334,926.87
6	चंडीगढ़	504,486.07
7	छत्तीसगढ	777,797.15
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	54,661.13
9	दिल्ली	1,580,197.53
10	गोवा	29,750.09
11	गुजरात	4,752,131.91
12	हरियाणा	361,354.41
13	हिमाचल प्रदेश	144,203.73
14	जम्मू एवं कश्मीर	1,129,586.57
15	झारखंड	828,571.56
16	कर्नाटक	586,028.36
17	केरल	332,480.97
18	लद्दाख	61,085.11
19	लक्षद्वीप	7,979.89
20	मध्य प्रदेश	1,382,878.50
21	महाराष्ट्र	2,803,075.31
22	मणिपुर	61,352.84
23	मेघालय	32,465.82
24	मिजोरम	27,969.94
25	नगालैंड	34,425.97
26	उड़ीसा	921,843.80
27	पुडुचेरी	80,390.67
28	पंजाब	484,935.72

29	राजस्थान	350,364.36
30	सिक्किम	15,875.84
31	तमिलनाडु	489,655.72
32	तेलंगाना	253,148.03
33	त्रिपुरा	124,807.43
34	उत्तर प्रदेश	8,688,326.65
35	उत्तराखंड	405,097.32
36	पश्चिम बंगाल	360,422.67
	सकल योग	30,482,059.22

अनुलग्नक III

दिनांक 20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3232 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रं.स.	राज्य की पंचायत	ऑर्डर वैल्यू (लाख रुपये में)
1	महाराष्ट्र	93,162.14
2	बिहार	27,056.20
3	हरियाणा	11,184.04
4	छत्तीसगढ	7,106.78
5	मध्य प्रदेश	4,763.86
6	कर्नाटक	1,470.69
7	पश्चिम बंगाल	1,212.11
8	उत्तराखंड	984.53
9	झारखंड	760.99
10	तमिलनाडु	677.19
11	उत्तर प्रदेश	389.17
12	गुजरात	340.40
13	उड़ीसा	222.52
14	राजस्थान	135.63
15	हिमाचल प्रदेश	110.28
16	त्रिपुरा	52.21
17	आंध्र प्रदेश	18.95
18	केरल	10.96
19	असम	3.53
20	पंजाब	2.15
21	गोवा	0.37
22	तेलंगाना	0.12
	सकल योग	149664.83

अनुलग्नक IV

दिनांक 20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3232 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रं.स.	**राज्य सहकारी**	**ऑर्डर वैल्यू (लाख रुपये में)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	82.86
2	असम	2.22
3	बिहार	5,117.58
4	चंडीगढ़	263.21
5	छत्तीसगढ	1,410.84
6	दिल्ली	1,151.92
7	गुजरात	661.45
8	हरियाणा	394.88
9	हिमाचल प्रदेश	94.48
10	झारखंड	915.28
11	कर्नाटक	0.01
12	केरल	143.79
13	मध्य प्रदेश	785.81
14	महाराष्ट्र	174.11
15	**उड़ीसा**	**108.06**
16	पंजाब	2,113.18
17	**राजस्थान**	**320.08**
18	तमिलनाडु	147.57
19	तेलंगाना	0.81
20	त्रिपुरा	144.76
21	उत्तर प्रदेश	21,706.84
22	उत्तराखंड	852.85
23	पश्चिम बंगाल	4,244.65
24	बहु-राज्य सहकारी समितियाँ	37,431.35
	कुल	78,268.58
